गुहार • शहर के व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी एसडीएम से मिले और बेरोजगारी की पीड़ा बताई

'53 दिन हो गए, अब तो पूरा बाजार खोल दीजिए'

भास्कर संवाददाता | रतलाम

एक जून से शहर अनलॉक हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कारोबार को छूट दी है। 80 फीसदी दुकानें तो फिर भी बंद रहेंगी। इसे लेकर संयुक्त व्यापारी संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सोमवार को एसडीएम से मिले और सभी दुकानें खोलने की मांग की। सभी संगठनों की एक ही मांग थी कि 53 दिन से कारोबार पूरी तरह ठप है। कम से कम अब तो दुकानें चालू करने की अनुमति दी जाए। कुछ दुकानों की जगह सभी दुकानों को खोलने की छूट दी जाए।

संयुक्त व्यापारी संघ के मनोज झाली ने एसडीएम अभिषेक गेहलोत एवं सीएसपी हेमंत चौहान को बताया कि कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ कारोबार को ही छूट दी जा रही है। जबकि पूरा बाजार चालू होना चाहिए। क्योंकि 53 दिनों से दुकानें बंद हैं। इससे शहर का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। छोटे व्यापारी तो बड़ी परेशानी में आ गए हैं वे ना तो बिजली का बिल भर पा रहे हैं और ना ही दुकानों का किराया जमा करा पा रहे हैं। किराना कारोबार ही नहीं बल्कि कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, बर्तन बाजार, नमकीन दुकानें, जूते व चप्पल दुकानें, रेडिमेड कारोबारी, सैलून संचालक, बिल्डिंग कारोबार, होटल व्यवसायी, गैरेज, ठेला संचालक के कारोबारियों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारियों का तो सीजन भी पिछले साल की तरह पूरा पीट गया है जिन्होंने स्टॉक कर रखा था उनका तो स्टॉक ही बच गया है। इससे अब तो पूरा बाजार खोला जाए। इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के कांतिलाल छाजेड़, सराफा एसोसिएशन के संजय छाजेड़, कपड़ा एसोसिएशन के राजेंद्र खाबिया, राजेश पटवा, नमकीन एसोसिएशन के अमित अग्रवाल, मुकेश जाट, जितेंद्र खिलौसिया, वल्लभ खंडेलवाल, खली कपास्या एसोसिएशन के चंद्रप्रकाश व्यास, खाद बीज व्यापारी एसोसिएशन के रमेश गर्ग, दिलीप पाटीदार, सलभ अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, इलेक्ट्रानिक व्यापारी एसोसिएशन के निलेश तनवानी, संजय पारख, महेश शर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

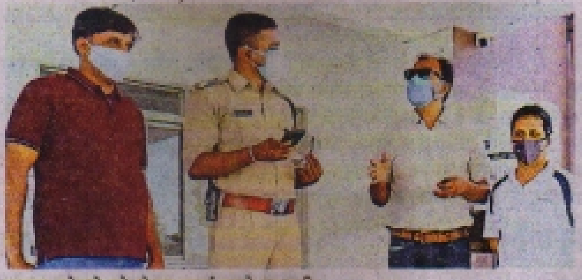

बाजार खोलने को लेकर चर्चा करते व्यापारी।

कम हुई कोरोना की रफ्तार

नई दिल्ली 31 मई. देशभर में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार घट रहे हैं. पिछले 24 घंटे के अंदर देशभर में कोरोना वायरस के लगभग डेढ़ लाख नए मामले सामने आए हैं. राहत की बात यह है कि इस अवधि के दौरान कोरोना को मात देने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हैं. कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या भी घटी है लेकिन यह अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.

आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कुल 1 लाख 53 हजार 347 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसी के साथ अब देशभर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 80 लाख 46 हजार 957 तक पहुंच गई है. वहीं, अब कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 20 लाख 22 हजार 103 पर आ गए हैं. पिछले एक दिन में कोरोना से 2 लाख 37 हजार 568 लोग ठीक हुए हैं. हालांकि, इस दौरान 3 हजार 129 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया. इसी के साथ अब देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 3 लाख 29 हजार 127 तक पहुंच गई है.

153347

एक दिन में नए संक्रमित

3129

एक दिन में हुई मौतें

०१/०६/२१

सिंह जोन चार के प्रभार से मुक्त, अब चौहान होंगे प्रभारी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को सफाई के जोन चार के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह अब किरण चौहान जोन चार के प्रभारी होंगे। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक विराट मेहरा को जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र की सफाई व्यवस्था से मुक्त कर जोन तीन की कमान सौंपी है। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सोमवार को आयुक्त सोमनाथ झारिया ने ये बदलाव किए हैं। इसमें उप स्वच्छता पर्यवेक्षक तरूण राठौड़ को सेनेटाईजेशन कार्य से मुक्त कर वार्ड क्रमांक 11 का प्रभारी बनाया है। आशीष चौहान उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को अधीक्षक कार्यालय में लिपिक पद से मुक्त कर वार्ड 14 का प्रभारी, किरण चौहान को जोन 3 के प्रभार से मुक्त कर चार का दायित्व सौंपा है। मांगीलाल सुल्तान को वार्ड 14 के प्रभारी से मुक्त कर वार्ड 15 का प्रभारी, संतोष भाटी को वार्ड 15 के प्रभार से मुक्त कर उसी वार्ड में सफाई संरक्षक बना दिया गया है। राहुल बिड़वान वार्ड 11 के प्रभारी से मुक्त कर जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र की सफाई व्यवस्था का दायित्व सौंपा है।

दैनिक भास्कर
1/6/21

मध्यप्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, रियायतें भी रहेंगी, मुख्यमंत्री ने दिया मंत्र

आज से जिंदगी अनलॉक - कोरोना लॉक

भोपाल ● 31 मई (ब्यूरो)

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, लेकिन एहतियातन कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा और इस दौरान अनलॉक के तहत अनेक रियायतें मंगलवार से दी जाएंगी। श्री चौहान ने सोमवार देर शाम राज्य की जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संबोधन में श्री चौहान ने एक मंत्र देते हुए कहा- **'अब हमें जिंदगी को अनलॉक और कोरोना को लॉक' करना है।** उन्होंने नागरिकों को समझाइश भी दी और कहा कि तीसरी लहर हम लोगों की लापरवाही का ही नतीजा रहेगी, इसलिए हम लोग 'कोविड अनुकूल व्यवहार' को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने पर तीसरी लहर रोकी जा सकती है। इस बीच श्री चौहान ने मंगलवार से पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों और प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की जानकारी भी दी।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियां

■ सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि।
■ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान।
■ सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह।
■ अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्र. अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। ■ सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। ■ अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति। ■ दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति। ■ किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। ■ पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू।

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां

■ समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां।
■ उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन।
■ अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और पशु चिकित्सा अस्पताल
■ केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रर्णाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें।
■ पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस। मंडी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां।
■ रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
■ लॉजिंग/होटल (केवल आगंतुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ)
■ बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स बैंक, इंश्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियां, सहकारी साख समिति, कैश मैनेजमेंट एजेंसीज आदि का संचालन एवं आवागमन।
■ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक आईटी सर्विस प्रोवाइडर आवागमन।
■ एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन।
■ अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मचारी।
■ सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
■ सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही।
■ निजी सुरक्षा सेवाएं।
■ घरेलू सेवा देने वाले यथा लांड्री, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन।
■ ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी।
■ रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य।
■ फायर ब्रिग्रेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाएं।
■ मोहल्लों / कॉलोनियों में एकल दुकानें। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज।
■ समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कंस्ट्रक्शन गतिविधियां।
■ परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण का आवागमन।
■ ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी / निजी 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ।

स्वदेश 1/6/21

वर्चुअल शुभारंभ • चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण हुआ

मेडिकल कॉलेज को मिला पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, हर माह 10 लाख की बचत होगी, 140 बेड पर आपूर्ति होगी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज में चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा 1.02 करोड़ के खर्च से लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। तुलसीदासजी की पंक्तियां 'परहित सरस धर्मनी भाई, परपीड़ा सन नहीं अदमाई' का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा फाउंडेशन ने मानवता की सेवा का बड़ा उदाहरण दिया है। ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो विधायक काश्यप ने तुरंत फैसला किया। उनके प्रयासों से मात्र 35-40 दिनों में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का यह ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। इससे कॉलेज ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा।

फाउंडेशन विधायक चेतन्य काश्यप का निजी ट्रस्ट है। प्लांट से 140 बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। वहीं कॉलेज को हर माह ऑक्सीजन खरीदी में लगने वाले 10 लाख रुपए की बचत होगी।

मुख्यमंत्री भोपाल से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए जबकि रतलाम में अध्यक्षता जिला कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की। सांसद गुमान सिंह डामोर विशेष अतिथि रहे। विधायक चेतन्य काश्यप ने स्वागत भाषण देते हुए कहा मुख्यमंत्री की विशेष रुचि और आशीर्वाद से पांच साल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो पाई है। महामारी में इसकी सार्थकता सिद्ध हुई है। झाबुआ, आलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच एवं राजस्थान के समीपवर्ती जिलों के 7500 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। संचालन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता, डीआईजी प्रशांत सक्सेना, एसपी गौरव तिवारी के साथ भाजपा जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण व मंडल अध्यक्षगण मौजूद रहे।

संकट में बिना मांगे जो दे सकते हैं वह तुरंत दे दें, यही विधायक काश्यप ने किया है : सीएम

वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री चौहान, वित्त मंत्री देवड़ा और विधायक काश्यप।

सेवा कार्य का जिक्र किया :- शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा दूसरी लहर में कोरोना के इलाज के लिए मालवा के विभिन्न जिलों में किए गए सेवा कार्य का भी जिक्र किया। चौहान ने कहा फाउंडेशन ने 1.35 करोड़ रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात कर उपलब्ध करवाए। इनमें 70 मेडिकल कॉलेज को देकर 60 बेड का ऑक्सीजन वार्ड शुरू करवाया है। इसके अलावा मंदसौर-नीमच में 25, झाबुआ-आलीराजपुर में 20, रतलाम ग्रामीण और बदनावर में 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इतना ही नहीं विधायक काश्यप ने अपने संस्थान काश्यप स्वीटनर्स लिमिटेड बदनावर में पीएसए टेक्नोलॉजी का स्वनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट स्थानीय स्तर पर निर्मित किया है। फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सोच प्रकट करने वाले हैं। संकट के समय कुछ मांगें नहीं और जो दे सकते हैं वह तुरंत दे देंवे, यही विधायक काश्यप ने किया है।

दैनिक भास्कर
1/6/21

शहर में संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से अधिक होने के चलते अलग तरीके से खुलेगा बाजार

53 दिन बाद आज से रतलाम होगा अनलॉक

सप्ताह में 2 दिन जनता कर्फ्यू, बंद रहेगा पूरा बाजार

जिस गांव में एक भी पॉजिटिव केस वहां लागू रहेगी पाबंदी, लोगों के आवागमन के लिए अब यात्री बसों की आवाजाही भी होगी शुरू

जीतेगा रतलाम

काउंटडाउन खत्म

आज से अनलॉक

रतलाम. कोरोना कर्फ्यू के चलते बीते 53 दिनों से लॉक रतलाम में आज से आमजन को छूट मिलेगी। शुरुआती दौर में बाजार सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही खुलेगा लेकिन उसमें भी चुनिंदा दुकानों को ही छूट

लॉकडाउन का सन्नाटा

जिले में अनलॉक में ऐसा रहेगा छूट का दायरा

- जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
- सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, जेल, पेयजल, आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, फायर इत्यादि
- धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने, आरती, उपासना के लिए केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में अनुमति रहेगी।
- जिले में विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से प्रदाय करना

अतिआवश्यक सेवाओं एवं 25 प्रतिशत दुकानों के साथ आज से खुल सकेगा रतलाम जिला

नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रविवार को जनता कर्फ्यू के साथ शनिवार को भी बंद रहेंगे प्रतिष्ठान

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम जिले में जिला प्रशासन ने 1 जून को प्रात: 6 बजे से आगामी आदेश तक राहत प्रदान की है। जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू जारी रहेगा यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात:6 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिले में शुक्रवार शाम7 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उक्त अवधि में केवल पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल दुकानें निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी। चूंकि शहर में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है अत: प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकानें प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। यह दुकानें कौन-कौन सी होगी इसका निर्धारण संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, स्थानीय व्यापारी संघ प्रतिष्ठानों से चर्चा कर अगले दो दिनों में निर्धारित करेंगे। साप्ताहिक संक्रमणों की समीक्षा प्रतिसप्ताह किया जाकर निर्णय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि स्कूल, कालेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमाघर, शापिंग माल, स्वीमिंगपूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम, सभागृह, पार्क बंद रहेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी। सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

मार्केट, किराना, थोक दुकानें, ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति हेतु प्रात: 6 से 10 बजे तक लोडिंग ,अनलोडिंग हेतु एवं शहरी क्षेत्र में होम डिलेवरी हेतु प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक की अनुमति रहेगी। जिस गांव में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है वहां प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां खुल सकेगी। शेष में अनुमति नहीं रहेगी। क्लिनिक से लगी आप्टीकल की दुकानें खुल सकेगी। खाद-बीज कृषि यंत्र की दुकानें प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक एवं शहरी क्षेत्र से कार्य हेतु कृषकों के आने -जाने की प्रात: 6 से शाम 6 बजे तक अनुमति रहेगी। बैंक,बीमा कार्यालय, एटीएम की अनुमति रहेगी। शराब की दुकानें उनकी अनुबंध शर्तों के अनुरुप खोलने की अनुमति रहेगी। जूते-चप्पल की रिपेयरिंग दुकानें खुल सकेगी। पेट्रोल पम्प के आसपास की वाहनों के पंचर सुधारने की दुकानें प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। अतिआवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित की जाएगी। शेष गतिविधियों के लिए भी जारी आदेश में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

कौन-कौनसी दुकानें खुलेगी यह दो दिन में निर्धारित होगा

प्रतिबंध से मुक्त रहेगी यह गतिविधियां

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयां चालू रहेगी, वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। कैमिस्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें खुली रहेगी। अनुमति के साथ सब्जी एवं फल विक्रेताओं को चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रात: 6 से शाम 4 बजे तक रहेगी। इसके लिए ठेला संचालन का पंजीयन कराना होगा। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना एकल दुकानें प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना प्रतिबंध रहेगा।

अंतिम संस्कार में 10 की अनुमति, उठावने की अनुमति नहीं

अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति की अनुमति रहेगी। उठावना एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां छूट दी जाएगी वहां अनुमति रहेगी। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी/इमाम/पादरी /ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की छूट रहेगी। विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इस हेतु सूचि के साथ अनुमति के लिए संबंधित एसडीओ एवं थाना प्रभारी को सात दिन पूर्व सूचि देना होगी।

स्वदेश 1/6/21

मनोहारी नजारा

धोलावड़ डेम का पानी उतरने लगा, उभर आया इकलौता आइलैंड, अब टूरिज्म सर्किट में भी शामिल, यहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आकार लेगा

रतलाम | जिले के सबसे बड़े जलाशय धोलावड़ डैम का पानी उतरने के बाद एकमात्र आईलैंड का खूबसूरत नजारा उभरकर आ गया है। यही अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसकी योजना बनाते हुए सरकारी अमले ने इसे टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया है। इसमें आईलैंड पर नाइट कैंपिंग के साथ पर्यटक कैंप फायर, एडवेंचर गेम्स का आनंद भी ले सकेंगे।

सफल रहा प्रयोग

पर्यटकों का मिजाज जानने के लिए क्रिसमस के दौरान धोलावड़ ईको टूरिज्म पार्क कमेटी ने 15 दिनी पर्यटन उत्सव मनाया था। इसमें वॉटर बोट, बैलून, मंकी क्राल, तीर-कमान सहित कई गेम्स भी जुटाए गए थे। यह उत्सव काफी सफल रहा। एक पखवाड़े 22 हजार से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। 2017-18 में डैम पर पहली बार वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई थी। फोटो-पिंटू मेहता

5 करोड़ रुपए देने की घोषणा धोलावड़ डेम यूं तो सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी है। पर्यटन विकास परिषद ने भी करीब 40 लाख रुपए खर्च कर सुविधाएं जुटाई हैं। पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि 2016-17 में मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। भास्कर

दैनिक भास्कर
1/6/21

निजी अस्पतालों के लिए राज्य सरकार ने संक्रमितों के उपचार की दरों का पुनर्निर्धारण किया

जनरल वार्ड में प्रतिदिन पांच हजार से अधिक नहीं ले सकेंगे

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित कर दी हैं। गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी, निजी कॉर्पोरेट समूह या शासन की अन्य योजनाओं में नहीं आने वालों के यह दरें मान्य होंगी। इसके तहत जनरल वार्ड व आइसोलेशन वार्ड के लिए प्रतिदिन अधिकतम पांच हजार रुपये, एचडीयू व आइसोलेशन के लिए सात हजार, बिना वेंटिलेशन आइसीयू व आइसोलेशन के लिए दस हजार तथा आइसीयू में वेंटिलेशन तथा आइसोलेशन (एनआइवी/इनवेसिव वेंटिलेशन) के लिए 17,000 रुपये लिए जा सकेंगे। इसमें बिस्तर व नर्सिंग शुल्क, अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जांच, भोजन, पीपीई किट, राइल्स ट्यूब इनसर्शन, कैथेटर की सुविधा, कन्ज्यूमेबल्स, ऑक्सीजन, नेब्युलाइजेशन और फिजियोथेरेपी की सुविधा शामिल रहेगी। प्रतिदिन निर्धारित

शुल्क के अलावा बाहरी बाहरी विशेषज्ञ से परामर्श, जांच और कोविड जांच का अलग से शुल्क लिया जा सकेगा।

कोविड जांच के शुल्क की यह व्यवस्था

कोविड जांच वास्तविक लागत पर की जाएगी। इसमें इम्यूनो (ग्लोबुलिन्स, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, इंजेक्शन एंफोटेरेसिन-बी, पोसोकोनाजोल इत्यादि औषधियां उल्लेखित अधिकतम दर से अधिक नहीं होंगी। चेस्ट सीटी-एचआरसीटी स्कैन के लिए पूर्व के आदेश के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा। शल्य चिकित्सा का भी शुल्क लिया जा सकेगा।

अधिक शुल्क की शिकायतें आने पर की व्यवस्था

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 29 फरवरी 2020 को निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए कोविड-19 के उपचार की दरें निर्धारित की थी। तब उपचार और जांच दरों में 40 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायतों के चलते उपचार दरों का पुनरीक्षण करने के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने 28 मई को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों को अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नई दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सार्थक पोर्टल पर भी इसे अपलोड करेंगे।

यह भी व्यवस्था

- अगर किसी निजी अस्पताल में उपचार की दरें पुनर्निर्धारित दरों से कम है, तो वे नई दरें निर्धारित नहीं कर सकेंगे।
- जहां दरें पुनर्निर्धारित दरों से अधिक है, वे 10 जून 2021 के बाद उनके यहां दाखिल होने वाले नए रोगियों के लिए अपनी दरें पुनर्निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि वर्तमान में उपचाररत रोगियों के लिए उपचार पूरा होने तक प्रचलित दरें ही लागू होंगी। किसी भी स्थिति में ऐसी अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी।
- कोई अस्पताल इन दरों से सहमत नहीं हो तो वह आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन सचिव-सह-स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
- कोरोना के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों की वैधता 10 जून 2021 तक रहेगी। इसके बाद की अवधि के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।

- नई दरों पर उपचार के इच्छुक अस्पतालों को कलेक्टर को आवेदन देना होगा।

मेडिकल कालेज को हर माह होगी 10 लाख रुपये की बचत

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मेडिकल कालेज में शहर विधायक चेतन्य काश्यप के फाउंडेशन द्वारा स्थापित आक्सीजन प्लांट का सीएम शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअली शुभारंभ करने के बाद अब कालेज को आक्सीजन पर होने वाले प्रतिमाह 10 लाख रुपये के खर्च की बचत होगी।

शासकीय मेडिकल कालेज में मंचासीन अतिथि। • नईदुनिया

विधायक काश्यप ने अपने संस्थान काश्यप स्वीटनर्स लिमिटेड बदनावर में पीएसए टेक्नोलाजी का स्वनिर्मित आक्सीजन प्लांट स्थानीय स्तर पर निर्मित किया है। उन्होंने स्वागत भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री की विशेष रुचि एवं आशीर्वाद से पांच वर्षों के दौरान रतलाम में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई है। यहां झाबुआ, आलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच एवं राजस्थान के समीपवर्ती जिलों के 7500 से अधिक मरीज भर्ती हुए और उनमें हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में अनाथ बच्चों के संरक्षण एवं पालन पोषण की योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया है, जो उन्हें संवेदनशील राजनेता के रूप में पूरे देश में स्थापित करता है। रतलाम में अध्यक्षता कर रहे जिले के कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि काश्यप फाउंडेशन ने आक्सीजन प्लांट स्थापित करके मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि रतलाम मेडिकल कालेज की स्थापना में विधायक काश्यप का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे मालवा में रतलाम मेडिकल कालेज की उपयोगिता साबित हो रही है। इस दौरान ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, डीन डा. जितेन्द्र गुप्ता, डीआइजी प्रशांत सक्सेना, एसपी गौरव तिवारी आदि उपस्थित रहे। संचालन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया।

नईदुनिया
1/6/21

मंप्र अनलॉक, दुकानों के लिए दिन तय

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश मंगलवार से अनलॉक होने जा रहा है। जहां संक्रमण की दर 5 फीसदी से अधिक है, वहां अधिक पाबंदी रहेगी, जबकि इससे कम दर वाले जिलों में छूट अधिक होगी। सोमवार को गृह विभाग से जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक ज्यादातर गतिविधियों को चालू कर दिया गया है। कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन भंडार, टेलरिंग मटेरियल जैसी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। स्टेशनरी, सैलून सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को सभी भवन निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल गैराज, घड़ी, चश्मा जैसी दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि किराना, दवा, फल, फूल जैसी सेवाएं पांचों दिन मिलेंगी। प्रदेश में रविवार को कर्फ्यू रहेगा।

अनलॉक की गाइडलाइन आते ही शुरू हो गई साफ-सफाई

जबलपुर के सिविक सेंटर में रेस्त्रां की सफाई शुरू हो गई। यहां में 50% लोगों को बैठकर खाने की छूट है।

प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा : सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ छूट दी जा रही है। शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। शेष 5 दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने अनलॉक से एक दिन पहले प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियां चालू करना भी जरूरी है, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके।

भोपल के लिए गाइडलाइन

इन्हें मिलेगी प्रतिबंध से छूट

- औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। कच्चे माल के आवागमन पर रोक नहीं, कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर रोक नहीं।
- केमिस्ट, राशन दुकान, किराने की दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार, एवं स्टेशनरी की दुकानें सोमवार से शुक्रवार पूरे दिन खुली रखी जाएंगी।
- पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं सातों दिन चालू रहेंगी।
- इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम चालू रहेंगे, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर और केबल संचालित होंगे।
- सभी प्रकार के मालवाहन चालू।
- सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों में एक सीट छोड़कर यात्री बैठेंगे।
- ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे।
- मोहल्ले, कॉलोनियों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।
- रेलो एवं ग्रीन जोन के गांव में मनरेगा कार्य और तेंदूपत्ता संग्रहण हो सकेगा।
- सब्जियों, फल-फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर निर्धारित स्थानों पर संचालित होंगे।
- शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल की बिक्री हो सकेगी।
- मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर पर रोक नहीं। ऑटोमोबाइल और अन्य सभी प्रकार के वर्कशॉप खुल सकेंगे।

इन पर प्रतिबंध

- जिले में खुले, बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
- सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन और लोगों के इकट्ठा होने आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध जारी रहेगा।
- किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, की ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णतः बंद रहेंगी।
- सभी सिनेमाघर, शॉपिंग माल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।
- सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

सभी जिलों में देशी और अंग्रेजी शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक खुलेंगी

पीपुल्स समाचार
1/6/21

समस्या फोरलेन निर्माण शुरू करने में चौराहे के दोनों मार्ग बंद, होगी परेशानी

अनलाक में दो बत्ती चौराहा रहेगा लाक

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मंगलवार से शहर में अनलाक के बाद आवागमन बढ़ेगा, इधर दो बत्ती चौराहे से कान्वेंट तिराहे तक फोरलेन निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। सोमवार को ज्योति होटल के सामने वाले हिस्से में पाइपलाइन डाली गई, इस दौरान पहले से सामने वाले हिस्से में की गई खोदाई में भूमिगत नाला धंस गया। इससे अब नाला नया बनाने पर ही निर्माण हो सकेगा।

दो बत्ती चौराहे पर भी पाइप-लाइन डालने के लिए खोदाई की गई है जबकि महाराजा सज्जनसिंह प्रतिमा तक एक हिस्से में निर्माण होने से आवागमन बंद रहेगा। इससे वाहन चालकों को परेशानी होगी। निगम अधिकारी व ठेकेदार काम तेजी से पूरा करने का दावा कर रहे हैं।

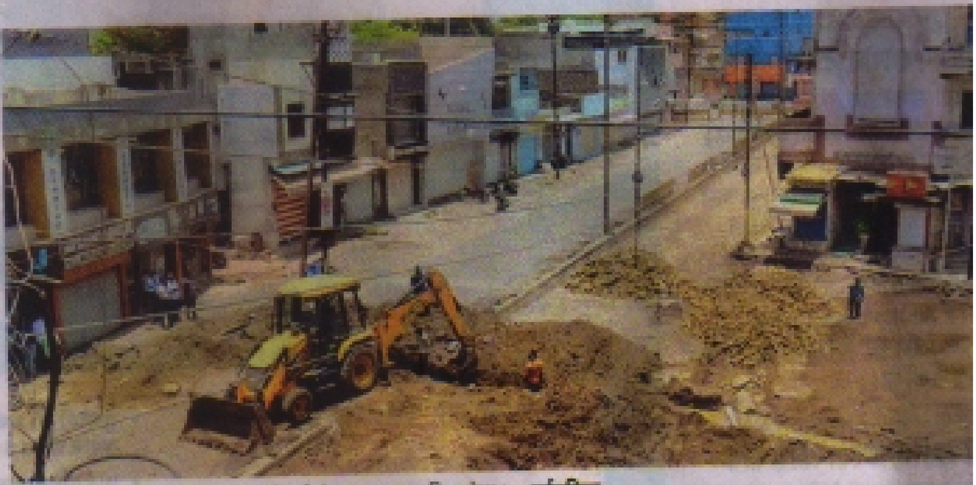

दो बत्ती क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर खोदाई से आवागमन बाधित होगा। • नईदुनिया

सात दिन में काम पूरा करने के निर्देश

सोमवार दोपहर फोरलेन निर्माण कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी के साथ किया। आयुक्त ने ठेकेदार नितेश पिरोदिया को निर्देशित कि उक्त सड़क का उत्कृष्ट निर्माण कार्य सात दिवस में पूर्ण करें। निगम आयुक्त ने सड़क के बीच के नाले में पाइप डालने के पहले नाले की गाद निकालने के लिए झोन प्रभारी पर्वत हाड़े को निर्देशि[त] किया। इससे बारिश में हाट की पुल [...] ओर से बहकर आने वाले पानी से दो ब[त्ती] क्षेत्र में जल भराव की स्थिति नहीं होगी

24 नए मरीज मिले, दो की मौत

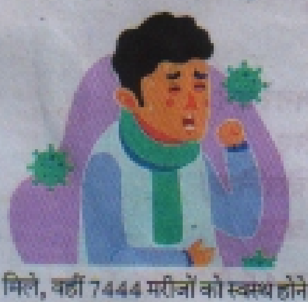

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले सोमवार को कोरोना के 24 नए मरीज मिले जबकि 148 स्वस्थ हुए और दो मरीजों की मौत हो गई। इसमें 75 व 45 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 17302 हो गई है। अब तक 16247 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 305 की मौत हो चुकी है। मई के 31 दिनों में ही 111 मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 752 है।

लगातार नए पाजिटिव मरीजों की संख्या घटने से जिलेवासी राहत महसूस कर रहे हैं। मई माह में नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। 31 दिनों में 6490 नए मरीज मिले, वहीं 7444 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया।

मेडिकल कालेज में 392 बेड रिक्त

शासकीय मेडिकल कालेज हास्पिटल से सोमवार को 22 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। डिस्चार्ज होते समय इन लोगों ने कोविड के नियमों का पालन करने तथा स्वजनों को भी सभी नियमों का पालन कराने का संकल्प लिया। डीन डा. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि 17 नए मरीज भर्ती हुए। मेडिकल कालेज हास्पिटल में कुल बिस्तरों की संख्या 550 है। आइसीयू बेड 56 में से 44 पर पेशेंट हैं। एचडीयू में 172 बेड में 57 पर पेशेंट हैं। आक्सीजन बेड 180 में 54 पर पेशेंट हैं। नान आक्सीजन बेड 142 में से तीन पर पेशेंट भर्ती हैं। कुल 158 पेशेंट हास्पिटल में भर्ती हैं। इनमें 118 पाजिटिव तथा शेष सस्पेक्टेड या आक्सीजन लेवल वाले हैं। हास्पिटल में रिक्त बेड 392 है। रेमडेसिविर की स्थिति अनुसार अब तक टोटल रिसीव्ड 7580, डिस्ट्रीब्यूटेड 1557, कन्ज्यूम्ड 5798, करंट स्टाक 225 है।

नईदुनीया/
1/6/21

नईदुनिया 1/6/21

53 दिन बाद अनलाक, सुबह सात से शाम पांच बजे तक खुलेगा शहर

जरूरी सेवाओं के अलावा 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी, दो दिन में तय होगा स्वरूप, जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद आदेश जारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण के चलते नौ अप्रैल से लगे लाकडाउन के बाद एक जून से जिले में अनलाक का पहला चरण शुरू होगा। गत दिवस जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अनलाक को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू व प्रतिदिन रात 10 से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, जेल, पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, फायर इत्यादि विभाग इससे मुक्त रहेंगे।

कालिका माता मंच के पीछे जोन कार्यालय पर लगी फल-सब्जी विक्रेताओं की भीड़। • नईदुनिया

जिले में शुक्रवार शाम सात से सोमवार सुबह छह बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल दुकान में निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी। दुकान संचालक की जवाबदारी होगी कि उसकी दुकान पर किसी भी स्थिति में छह से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो तथा मास्क व शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।

दुकानें कैसे खुलेंगी, एसडीएम, सीएसपी तय करेंगे

रतलाम शहर में साप्ताहिक संक्रमण दर पांच प्रतिशत से ज्यादा है। इसके चलते प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकानें प्रातः 7:00 से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगी। 25 प्रतिशत दुकानें कौन-सी होंगी, इसका निर्धारण एसडीएम, सीएसपी, डीएसपी, स्थानीय व्यापारी संघ प्रतिष्ठानों से चर्चा कर दो दिन में निर्धारित करेंगे। साप्ताहिक संक्रमण की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाएगी जिसके अनुसार निर्णय में परिवर्तन किया जा सकेगा। सैलाना में केवल कृषि दुकानें ही खुलेंगी। दूध व अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति जारी रहेगी। शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी।

ये गतिविधियां प्रतिबंधित

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, स्कूल-कालेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शापिंग माल, स्विमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, आडिटोरियम, सभागृह पार्क बंद रहेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां जिस गांव में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहां खुल सकेंगी, शेष में अनुमति नहीं रहेगी।

छूट का दायरा इस तरह रहेगा

औद्योगिक गतिविधियां : सभी उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आइडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

स्वास्थ्य सेवाएं : अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट दुकानें चालू रहेंगी। क्लीनिक से लगी हुई आप्टिकल की दुकानें खुल सकेंगी।

अनाज : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।

फल व सब्जी : घर-घर जाकर चलित रूप से फल व सब्जी विक्रय करने की प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनुमति रहेगी। संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से ठेला संचालन का पंजीयन जरूरी होगा।

दूध : दूध विक्रेता को प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक एवं शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। सांची पार्लर एवं दूध डेयरी प्रातः 6:00 से शाम 6:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।

किराना : शहरी रहवासी क्षेत्रों में एकल किराना दुकानें प्रातः 7:00 से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। थोक दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति के लिए प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 तक तथा शहरी क्षेत्र में होम डिलीवरी के लिए प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक की अनुमति रहेगी।

रेस्टोरेंट एवं भोजनालय : जिले में केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे, लेकिन पूर्व डिलीवरी ब्वाय का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।

मंडी : कृषि उपज मंडियों में आने-जाने वाले कृषक का मंडी क्षेत्र में स्थित पंचायत वार रोस्टर बनाया जाकर अथवा जींस वार नीलामी की जाएगी। जिले के बाहर से आने वाले कृषक पर प्रतिबंध रहेगा।

टीकाकरण : एंबुलेंस आक्सीजन का संपूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों कर्मियों को छूट रहेगी।

धार्मिक स्थल : आरती, उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ग्रानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी।

विवाह समारोह : दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों की अनुमति रहेगी। आयोजक को संबंधित एसडीएम एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पहले देना होगा।

अंतिम संस्कार : शवयात्रा में केवल 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। उठावना कार्यक्रम एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

पंप व गैस एजेंसी : पेट्रोल-डीजल पंप, गैस कनेक्शन गैस एजेंसी चालू रहेंगे।

कृषि दुकानें : खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें प्रातः 6:00 से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगी। शहरी क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए कृषकों को आने-जाने की प्रातः 6:00 से शाम 6:00 बजे तक की अनुमति रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे।

मीडिया : प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेटर को अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर वितरण प्रातः 6:00 से प्रातः 9:00 बजे तक किया जा सकेगा।

परिवहन : सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।

मनरेगा व निर्माण कार्य : येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में मनरेगा, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य जारी रखे जा सकेंगे।

आरओ वाटर : होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई कर्मचारियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा।

मेंटेनेंस : इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक सर्विस आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य एवं सर्विस करने की छूट रहेगी। समस्त जूते-चप्पल रिपेयर की दुकान खुलेगी। जिले में पेट्रोल पंप के आसपास संचालित वाहनों के पंक्चर सुधारने की दुकानें प्रातः 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।

सावधान रहें, क्योंकि संक्रमण का खतरा टला नहीं है

अनलाक में जहां प्रशासन-पुलिस व निगम के दल ने मास्क लगाने, शारीरिक दूरी रखने सहित अन्य गाइडलाइन का पालन कराने की तैयारी की है वहीं आमजन को भी सावधानी बरतना होगी। जिले में कोरोना काल की औसत संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है। 305 मौत हो चुकी है, ऐसे में लापरवाही से फिर लाकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

- घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनें।
- समय-समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन करें।
- बाजार में शारीरिक दूरी रखने का पालन करें।
- खांसी-सर्दी या बुखार होने पर तत्काल जांच करवाएं।
- अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।

पंजीयन के लिए सब्जी-फल विक्रेताओं की भीड़ लगी

अनलाक में फेरी लगाकर सब्जी, फल बेचने के लिए पंजीयन अनिवार्य किए जाने से मंगलवार को निगम के जोन कार्यालयों पर विक्रेताओं की भीड़ लगी रही। दस्तावेज लेकर आए विक्रेताओं की कतार में शारीरिक दूरी रखने का पालन भी नहीं हो पाया। कई बार निगम कर्मचारियों ने दूरी बनाकर रखने की बात कही, लेकिन भीड़ लगी रही। सब्जी बेचने वाली शांताबाई ने बताया कि घर से पैदल आना पड़ा, परिवार चलाने के लिए फेरी लगाना जरूरी है। मंडी भी बंद रहेगी तो दूर से सब्जी लाना पड़ेगी।

कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 15 तक

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा- संक्रमण नियंत्रित है, पर संकट टला नहीं, फिर भी अभी कुछ छूट दे रहे हैं

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ

- समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन
- किराना दुकानें, डेयरी एवं दूध केन्द्र, पशु आहार की दुकाने
- मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियाँ
- रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी), लॉजिंग/होटल (रूम डायनिंग के साथ)
- बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज का संचालन
- इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई .टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन
- सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
- सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही
- निजी सुरक्षा सेवायें
- घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन
- ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी
- रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य
- मोहल्लों / कॉलोनियों में एकल दुकानें
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज
- समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियाँ
- परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण का आवागमन
- ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टेक्सी / निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ
- व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन

नवभारत

मन में है संतोष का भाव

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन पर प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कहा है कि आज आपसे चर्चा करते समय मेरे मन में संतोष का भाव है. पिछले दो महीनों में हम सबने मिलकर कोरोना के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा है यह दो माह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव है. कोरोना से इस युद्ध में हमने नुकसान भी बहुत उठाया. कई अपनों को खोया है. जख्म गहरे हैं, दर्द बड़ा है. कल ही मैंने उन बेटे बेटियों के खाते में जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है. उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे. लेकिन आज मैं यह कह सकता हूँ कि सब मिलकर अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने की कगार पर हम पहुंच गये है.

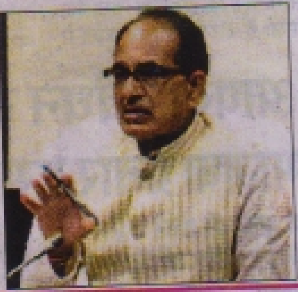

भोपाल 31 मई. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना से अभी लड़ाई लड़ते रहना है. इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं. कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा. लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं.

सुरक्षा भी और समृद्धि भी. अपनी सुरक्षा भी करना है लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ भी आरंभ करना है, ताकि व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सकें, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत-मजदूरी मिल सके. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ यह लड़ाई अभी बाकी है. यह बात अलग है कि आज संतोषजनक स्थिति है. इस संक्रमण को नियंत्रित तो किया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है.

ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी

- पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू
- पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू
- सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान .
- सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह
- अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100त्न अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे.
- सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगें
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति
- दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति
- किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध
- कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंध कड़ा रहेगा, जनता को वहां के प्रशासन द्वारा सूचित किया जाएगा

नवभारत
1/6/21

स्वदेश - 1/6/21

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया

रतलाम ● स्वदेश समाचार

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली रतलाम मेडिकल कॉलेज में विधायक चैतन्य काश्यप के काश्यप फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़ 2 लाख रुपये लागत से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2 टन की है।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और अल्प समय में ही प्लांट तैयार हो गया है, इससे मेडिकल कॉलेज के लिए स्थाई व्यवस्था का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है, यहां सैकड़ों मनुष्यों का जीवन बचाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रतलाम मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कॉलेज में अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड क्षमता निर्मित हुई। उन्होंने अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराई गई कंसंट्रेटर मशीनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी मेहनत से रतलाम में अब कोरोना संक्रमण का प्रसार नियंत्रित कर लिया गया है, यह बड़े संतोष की बात है। कोविड-प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल कर लिया गया है। सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि रतलाम शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना में विधायक चैतन्य काश्यप का महत्वपूर्ण योगदान है। विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज रतलाम जिले के अलावा आसपास के अन्य जिलों तथा राजस्थान के मरीजों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री कोविड-बाल कल्याण योजना के लिए श्री काश्यप ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए योजना को सराहनीय बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्तागण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

आज से अनलॉक: घर-घर सब्जी मिलेगी, किराना दुकानें खुलेगी

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विगत दिवस जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सर्वसहमति से लिए गए निर्णय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात्रि 10बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 10बजे से प्रात: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, जेल, पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, फायर इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।

शहर में इन गतिविधियों को छूट

सब्जी एवं फल विक्रेताओं फेरीवाले को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमति रहेगी। इस हेतु सब्जी एवं फल विक्रेताओं को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से ठेला संचालन का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता को प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं सायंकाल 5.30 बजे से 8.30 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी । सांची पार्लर एवं दूध डेयरी प्रात: 6 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रह सकेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना एकल दुकाने प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मार्केट की किराना थोक दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति हेतु प्रात: 6 से प्रात: 10 तक लोडिंग अनलोडिंग हेतु, शहरी क्षेत्र में होम डिलीवरी हेतु प्रात: 11 से 5 बजे तक की अनुमति रहेगी।

नवभारत

पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअली शुभारंभ

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम मेडिकल कॉलेज में विधायक चेतन्य काश्यप के निजी ट्रस्ट चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन द्वारा 1.02 करोड़ की लागत से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने तुलसीदासजी

▶ कॉलेज को हर माह होगी 10 लाख रूपए की बचत

की पंक्तियां 'परहित सरस धर्मनी भाई, परपी?ा सन नहीं बदमाई' का उल्लेख करते हुए कहा कि चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन ने मानवता की सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऑक्सीजन की दिक्कत आई, तो रतलाम के मेडिकल कॉलेज के संबंध में विधायक चेतन्य काश्यप ने त्वरित निर्णय लिया और उनके प्रयासों से मात्र 35-40 दिनों में 1000 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का यह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया है। श्री चौहान ने कहा कि यह प्लांट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत उपयोगी होगा। इससे कॉलेज ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा।

चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन ने इसके साथ ही 1.35 करोड़ रूपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आयात किए है और मेडिकल कॉलेज में 70 कंसंट्रेटर देकर 60 बेड का ऑक्सीजन वार्ड शुरू करवाया है। मंदसौर-नीमच में 25, झाबुआ-आलीराजपुर में 20, रतलाम ग्रामीण एवं बदनावर में 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए है।

रतलाम में अध्यक्षता कर रहे जिले के कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करके मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मेडिकल कॉलेज एवं प्रशासन के साथ हर नागरिक का योगदान रहा है। सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना में विधायक श्री काश्यप का महत्वपूर्ण योगदान है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष रूचि एवं आशीर्वाद से 5 वर्षों के दौरान रतलाम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और इसने अल्पसमय में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। यहां झाबुआ, आलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच एवं राजस्थान के समीपवर्ती जिलों के 7500 से अधिक मरीज भर्ती हुए है और उनमें हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। श्री काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश कोरोना संकट से उबर गया है।

रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट लगने से सामान्य समय में 140 बेड को सम्पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होगी और इससे मेडिकल कॉलेज को प्रतिमाह ऑक्सीजन खरीदी के रूप में 10 लाख रूपए की बचत होगी। कार्यक्रम का संचालन कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने किया। इस दौरान ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, डीन डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, डीआईजी प्रशांत सक्सेना, एसपी गौरव तिवारी एवं भाजपा जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण व मण्डल अध्यक्षगण उपस्थित रहे।

स्वदेश 1/6/21

हाईकोर्ट में सुनवाई : पहले दरें 10 जून से लागू करने की बात कही थी

कोर्ट सख्त तो सरकार अस्पतालों के लिए नई दरें लागू करने पर हुई राजी

कोर्ट मित्र ने जताई नाराजगी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जबलपुर. सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना के इलाज की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने कोर्ट मित्र की आपत्ति को गंभीरता से लिया और दरें 10 जून से लागू करने की बात पर नाराजगी जताई। इस पर सरकार की ओर से नई दरें एक जून से ही लागू किए जाने पर सहमति दे दी गई। सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए संशोधित आदेश तत्काल जारी किए जाएंगे। अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दरें तय कर दी गई हैं। इसे 10 जून से लागू किया जाएगा। इस पर कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने राज्य के अंतरिम जवाब का हवाला देकर कहा कि निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के नाम पर मनमानी करते चले आए हैं। ऐसे में यदि नए रेट फिक्स कर दिए गए हैं तो उन्हें प्रभावी करने के लिए दस दिन का समय और क्यों लिया जा रहा है? इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बीच निजी अस्पताल पूर्ववत मनमानी करते रहेंगे। इससे कोरोना मरीज लुटने को विवश होंगे। उन्होंने विरोध जताते हुए अविलंब ये दरें लागू किए जाने की मांग की।

कहा- सरकार जनता के साथ

राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने साफ किया कि अविलंब संशोधित आदेश निकालकर एक जून से कोरोना के इलाज की नई दरें प्रभावी कर दी जाएंगी। सरकार आम जनता के साथ है। वह कोरोनाकाल में आम जन को होने वाली असुविधा से खासी चिंतित रही है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा।

महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए थानावार टीमें तैनात

रतलाम. कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम शहर में थाना क्षेत्र वार अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई हैं जो आदेश का उल्लंघन करने वालों, बिना मास्क लगाए घूमने एवं गलत तरीके से मास्क लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करेंगी। निर्धारित समय के पश्चात आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली पाए जाने पर उन्हें सील कर संबंधित संचालक के विरुद्ध विधि नियमानुसार धारा 188 की कार्रवाई तथा समय-समय पर कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगी।

पत्रिका 1/6/21

अनलाक की गाइड लाइन जारी,रविवार को रहेगा कर्फ्यू

आवश्यक व्यवसायों को छूट,25 प्रतिशत दुकानें खुलेगी

रतलाम । जून की पहली तारीख से कोरोना के लाकडाउन में छूट की नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। नई गाइड लाइन में जहां आवश्यक सेवाओं को चालू किया गया है,वहीं बाजार की 25 प्रतिशत दुकानें खोलने का निर्णय किया गया है। कौनसी दुकानें खोली जाएगी इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर दो दिनों के भीतर लिया जाएगा।

अनलाक के प्रावधानों के सम्बन्ध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक विडीयो सन्देश भी जारी किया है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के संशोधित आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी माल,सिनेमाघर,जिम,शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग इत्यादि फिलहाल बन्द रहेंगे। धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है,लेकिन इसमे केवल पुजारी इत्यादि को पूजा के लिए प्रवेश की अनुमति रहेगी। दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। विवाह समारोह मेंअधिकतम 20 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में दस व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह में शामिल होने वाले 20 व्यक्तियों की सूचि सात दिन पहले स्थानीय अधिकारियों को देना होगी। जिले में अनेक सेवाओं को प्रतिबन्ध से मुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में साप्ताहिक संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक है इसलिए प्रतिबन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकाने सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी। जिन दुकानों को खोला जाएगा उसका निर्णय स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। सब्जी,फल इत्यादि का फेरी लगाकर विक्रय किया जा सकेगा,लेकिन सब्जी फल विक्रेताओं को हाथ ठेले का पंजीयन करवाना पडेगा। कालोनियों के भीतर चलने वाली एकल किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। होटल रेस्टोरेन्ट्स भी खोले जाएंगे,लेकिन वहां से सिर्फ डिलेवरी की जाएगी। वहां बैठकर खाया नहीं जा सकेगा। इसी तरह शराब दुकानें भी खोली जाएगी। कृषकों को कृषि कार्य के लिए आने जाने की छूट के अलावा कृषि सम्बन्धी दुकानें भी खोली जा सकेंगी। आटो रिक्शा इत्यादि भी चलाए जा सकेंगे।

[illegible] 1/6/21

दी जाएगी। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी तरह की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। साथी रविवार के दिन जनता कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा। शहर और गांव को लेकर प्रशासन ने अलग रणनीति तय की है क्योंकि जिले में संक्रमण की रफ्तार 3 प्रतिशत से कम है जबकि शहर में 5 प्रतिशत से अधिक है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्पष्ट कहा है कि यदि कहीं कोई दुकानदार लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

शहर में ऐसा रहेगा अनलॉक का स्वरूप

• रतलाम शहर में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है। ऐसे में प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। 25 प्रतिशत दुकानें कौन-कौन सी होंगी इसका निर्धारण संबंधित एसडीएम, सीएसपी/डीएसपी, स्थानीय व्यापारी संघ, प्रतिष्ठानों से चर्चा कर आगामी दो दिन में निर्धारित करेंगे।

• साप्ताहिक संक्रमण की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाकर निर्णय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

• समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य के लिए उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।

• उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।

• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्स्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।

• केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, आटा चक्कर पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।

• सब्जी एवं फल विक्रताओं (फेरीवाले) को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की सुबह 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमति रहेगी। इसके लिए सब्जी, फल विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से ठेला संचालन का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

• घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता को सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 5.30 से रात 8.30 बजे तक दुध वितरण करने की अनुमति रहेगी।

• सांची पार्लर एवं दुध डेरी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेंगी।

• शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना एकल दुकान के लिए सुबह 7 से सांय 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कन्टेमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

• मार्केट की किराना थोक दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक लोडिंग-अनलोडिंग के लिए तथा शहरी क्षेत्र में होम डिलेवरी के लिए प्रातः 11 बजे से शाम 5 तक की अनुमति रहेगी।

• जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां जिस गांव एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहां खुल सकेंगी, शेष में अनुमति नहीं रहेगी।

• पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, गैस एजेंसी चालू रहेंगे।

• सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक खुल सकेंगी। - शहरी क्षेत्र से कृषि कार्य के लिए कृषकों को आने-जाने की सुबह 6 से सायं 6 तक अनुमति रहेगी।

• बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे।

• प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया केबल आपरेटर को अनुमति रहेगी।

• सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।

• सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों अनुमति रहेगी।

• ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

• येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।

• एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा।

• अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे लोगों को छूट रहेगी।

• जल सप्लाय के लिए आर.ओ.वाटर की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई में लगे कर्मचारियों का कोविड रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा।

• कालका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

• न्यूज पेपर वितरण के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अनुमति रहेगी।

• मेंटेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि को केवल होम डिलेवरी (घर-घर जाकर) रिपेयर एवं सर्विस करने की छूट रहेगी।

• शराब की दुकानें उनकी अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र मे खोलने की अनुमति रहेगी।

• जिले के समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगें, परन्तु उसके पूर्व डिलीवरी बॉय का कोरोना टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा।

• समस्त जूते-चप्पल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।

• फायर ब्रिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।

• जिन दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है वहां संचालक की जवाबदारी होगी की उनके यहां पर किसी भी परिस्थिति में 6 से कम व्यक्ति हो तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।

• जिले में पेट्रोल पम्प के आस-पास संचालित वाहनों के पंचर सुधारने की दुकाने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।

• कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने के लिए आने वाले कृषको का मंडी क्षेत्र में स्थित पंचायतवार रोस्टर बनाया जाकर या जिंसवार नीलामी की जाएगी, इसका क्षेत्र मे व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिले के बाहर से आने वाले कृषक पर प्रतिबंध रहेगा।

• जिले मे शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उक्त अवधि मे केवल पेट्रोल पम्प, गैस ऐजेंसी, फल, सब्जी, दुध, मेडिकल दुकाने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी।

विभाग इससे मुक्त रहेंगे।

अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियो के साथ संचालित किए जाएं।

• सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति रहेगी।

• सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

आवश्यक होगा। इस के लिए सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन 7 दिन पहले देना होगा। कोई भी अनुमति 7 जून के पूर्व की तिथि के लिए देय नही होगी।

• अंतिम संस्कार (शवयात्रा) के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है।

• पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

• रूल ऑफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के लिए किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो वहां यह छूट रहेगी।

अनलॉक में संभलकर रहिए, नहीं तो बढ़ सकता है संक्रमण

आज से गांव-शहर सब आपके हवाले

वीकेंड लॉकडाउन, 15 दिन का फेस-1

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश में अनलॉक फेस-1 मंगलवार से शुरू हो जाएगा। यह 15 जून तक रहेगा। कॉमन गाइडलाइन के तहत गतिविधियां शुरू होंगी। भोपाल-इंदौर में ज्यादा बंदिशें के साथ अनलॉक होगा। पूरे राज्य में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पहले फेस की समीक्षा के बाद आगे की व्यवस्था तय की जाएगी। सरकार की कॉमन गाइडलाइन के तहत जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद जिला स्तर पर अनलॉक के आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत जिलों में संक्रमण की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग-अलग छूट दी गई है। सरकार अब जागरुकता कैम्पेन चलाएगी, जिससे संक्रमण फिर से न बढ़ सके।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को अनलॉक फेस-1 में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जागरुकता लाने की जिम्मेदारी दी है। सरकार ने स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई है।

बीता हुआ कल	7,80,030 संक्रमित हुए	8,067 से ज्यादा मौत
आज के हालात	1,205 संक्रमित मिले	48 लोगों ने दम तोड़ा

अब आने वाला कल आपका व्यवहार तय करेगा, इसलिए...

कोशिश करें कि बेवजह बाहर न निकलें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं। कोरोना को मात देने के यही सशक्त हथियार हैं।

नई मुसीबत: मांगों को लेकर अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर

भोपाल. मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा।

शिवराज बोले- जिंदगी अनलॉक करें, कोरोना को लॉक

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक से पहले सोमवार को कहा कि दो महीने हम सबसे मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यह दो माह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव है। इस युद्ध में नुकसान भी बहुत उठाए। कई लोगों ने अपनों को खोया है। जख्म गहरे हैं, दर्द बड़ा है, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि अब हम कोरोना से लड़ाई जीतने की कगार पर हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए कोरोना को लॉक करते हुए जिंदगी को अनलॉक करें।

प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, परिवहन चालू होगा

प्रदेश आज से अनलॉक हो जाएगा, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड पर भी लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक परिवहन और राज्यों के बीच आवाजाही को भी मंजूरी दे दी गई है।

जानें आपके लिए क्या-क्या

- सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले पर प्रतिबंध।
- सिनेमा घर, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह आदि बंद रहेंगे।
- अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले दफ्तरों को छोड़ शेष 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
- सभी धार्मिक-पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार और मृत्युभोज की अनुमति रहेगी।
- दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति रहेगी।
- किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध। पुलिस समय-समय पर जांच करेगी।

यहां ऐसे होगा अनलॉक

छिंदवाड़ा: बाजार की दुकानें एक दिन के अंतराल से ऑड-ईवन और मोहल्लों की एकल दुकानें नियमित खुलेंगी।

श्योपुर: बाजार 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को दाईं व मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाईं ओर की दुकानें खुलेंगी।

दतिया: बाजार सम और विषम तारीखों में खुलेगा।

शिवपुरी: एक दिन दाईं और दूसरे दिन बाईं ओर की दुकानें खोली जाएंगी।

भिंड: दुकानें दो चरण में खुलेंगी। पहली शिफ्ट 8 बजे से 2 बजे, जबकि दूसरी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी।

मुरैना: 4 जून की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लागू।

उज्जैन: एक दिन एक तरफ, दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी।

नीमच: 25% बाजार खुलेगा। नीमच-मंदसौर में व्यापारियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

शाजापुर: एक-एक दिन आमने-सामने की दुकानें खुलेंगी।

पत्रिका 1/6/21

रतलाम का आक्सीजन प्लांट क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल से वर्चुअल किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम मेडिकल कालेज के आक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। • जनसंपर्क विभाग

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण काल में आक्सीजन का संकट हम सबने देखा और भोगा है। शासकीय मेडिकल कालेज रतलाम में आक्सीजन प्लांट की स्थापना क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत है। अब मेडिकल कालेज आक्सीजन में आत्मनिर्भर हो गया है। कम समय में तैयार हुए इस प्लांट से 57 क्यूबिक मीटर यानी एक हजार लीटर प्रति मिनट आक्सीजन मेडिकल कॉलेज के मरीजों को मिल सकेगी। कोरोना के बाद भी यह प्लांट लगातार उपयोगी रहेगा।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे अपने अपने निवास से शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में स्थापित आक्सीजन प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। यह आक्सीजन प्लांट चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा एक करोड़ दो लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फाउंडेशन द्वारा रतलाम के साथ आसपास के शहरों में आक्सीजन की व्यवस्था की गई है। फाउंडेशन द्वारा 135 आक्सीजन कंसंट्रेटर आयात किए गए। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में 70 आक्सीजन कंसंट्रेटर देकर 60 बेड का आक्सीजन वार्ड शुरू कराया गया। मंदसौर-नीमच संसदीय क्षेत्र में 25, झाबुआ-आलीराजपुर संसदीय क्षेत्र में 20, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में 10 और बदनावर में 10 आक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। शिवराज ने कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार के सहयोग का भी आभार माना।

तैयारी

- रतलाम का मेडिकल कालेज आक्सीजन में आत्मनिर्भर हो गया
- मरीजों को मिल सकेगी एक हजार लीटर प्रति मिनट आक्सीजन

कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं रतलाम जिला कोविड प्रभारी जगदीश देवड़ा, विधायक रतलाम चेतन्य काश्यप, सांसद गुमान सिंह डामोर तथा अधिकारी उपस्थित थे।

सावधान रहना जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रदेश में रविवार को 75,417 टेस्ट हुए, जिसमें से मात्र 1,200 पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 1.6 और रिकवरी रेट 95.97 प्रतिशत हो गया है। खंडवा में एक भी पाजिटिव प्रकरण नहीं है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें सावधान रहना है और कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाकर स्वयं को बचाना है। अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा ही तय की जाएगी।

नईदुनिया 1/6/21

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में दायित्व बदले

रतलाम। शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए निगमायुक्त

सरकारी राशन के लिए मोबाइल जरूरी

मेडिकल कालेज में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन के ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री श्री चौहान वर्चुअली शुभारंभ करेंगे

रतलाम । शासकीय मेडिकल रतलाम में चैतन्य काश्यप फाउण्डेशन द्वारा स्थापित पीएसए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट का मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान 31 मई को सुबह 11 बजे सीमित अतिथियों की उपस्थिति में वर्चुअली शुभारम्भ करेंगे7 अध्यक्षता प्रदेश के वित्त एवं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे7 इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद गुमानसिंह डामोर, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा विशेष अतिथि रहेंगे7 इस कार्यक्रम का चैतन्य काश्यप के फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

फाउण्डेशन अध्यक्ष, विधायक चैतन्य काश्यप ने बताया कि शासकीय मेडिकल रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बाद विद्युत कनेक्शन जोड़कर ऑक्सीजन उत्पादन एवं आपूर्ति का परीक्षण कर लिया गया है7 इस पीएसए प्लांट में सीधे हवा से ऑक्सीजन उत्पादित होगी, इससे मेडिकल कालेज के आईसीयू में 140 बेडो पर इलाजरत मरीजों को अनवरत ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी।

एक जून से कार्यालय आयेंगे 100 प्रतिशत अधिकारी

रतलाम । राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।

सीएम बोले काश्यप फाउंडेशन ने मानवता की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया

ऑक्सीजन प्लांट का किया वर्चुअल उद्घाटन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. मेडिकल कॉलेज में विधायक चेतन्य काश्यप के काश्यप फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़ 2 लाख रुपए लागत से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली किया। सीएम ने काश्यप फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि फाउंडेशन ने मानवता की सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदेश के वित्त मंत्री तथा कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद गुमानसिंह डामोर, विधायक चेतन्य काश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और अल्प समय में ही प्लांट तैयार हो गया है, इससे मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है, यहां सैकड़ों मनुष्यों का जीवन बचाया गया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कॉलेज में अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड क्षमता निर्मित हुई। उन्होंने अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराई गई कंसंट्रेटर मशीनों की जानकारी दी।

अथक परिश्रम किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, प्रशासनिक टीम द्वारा अथक परिश्रम किया है। सबकी मेहनत से कोरोना संक्रमण का प्रसार नियंत्रित कर लिया गया है, यह बड़े संतोष की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण की स्थिति बेहतर है।

मानव सेवा का उदाहरण

इस अवसर पर कोविड-प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करके मानव सेवा के लिए बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, इससे मेडिकल कॉलेज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं उपचार कार्य में मेडिकल कॉलेज टीम द्वारा बड़ा योगदान दिया गया है। मध्यप्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल कर लिया है।

विधायक काश्यप का महत्वपूर्ण योगदान

सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि रतलाम शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना में विधायक चेतन्य काश्यप का महत्वपूर्ण योगदान है। विधायक चेतन्य काश्यप ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना और क्षमता की जानकारी [illegible]। उन्होंने कहा कि रतलाम मेडिकल कॉलेज रतलाम जिले के अलावा आसपास के अन्य जिलों तथा राजस्थान के मरीजों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। यहां सैकड़ों की संख्या में मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं।

कोविड संक्रमण पर नियंत्रण

काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सतत मेहनत से कोविड-संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा माता-पिता विहीन बच्चों के लिए लागू की गई। मुख्यमंत्री कोविड-बाल कल्याण योजना के लिए काश्यप ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए योजना को सराहनीय बताया। लोकार्पण के दौरान कॉलेज परिसर में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह लुनेरा, पूर्व विधायक संगीता चारेल, शैलेंद्र डागा, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, अशोक पोरवाल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित थे।

पत्रिका 1/6/21

कड़ी नजर रखेंगे • प्रशासन और पुलिस के अधिकारी को मिलाकर बनाई टीम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मई में 6495 पॉजिटिव इसलिए अब अनलॉक में भी सख्ती, शहर के 4 थाना क्षेत्रों में टीम तैनात

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना की दूसरी लहर में मई का महीना सबसे भारी रहा है। सिर्फ 31 दिन में ही 6495 पॉजिटिव मिले। इसी कारण लॉकडाउन के बाद पहली जून से होने वाला अनलॉक भी सख्त रहेगा। खासतौर पर इसके लिए चार टीम बनाई गई है।

प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई एक टीम मंगलवार से शहर के हर थाना क्षेत्र में तैनात रहेगी। इनकी कमान एसडीएम अभिषेक गेहलोत संभालेंगे। इससे पहले अप्रैल में 5291 मरीज मिले थे। अच्छी बात यह कि 4 हजार के करीब पहुंच चुके एक्टिव केस घटकर सिर्फ 752 ही रह गए हैं।

एहतियात सबसे जरूरी

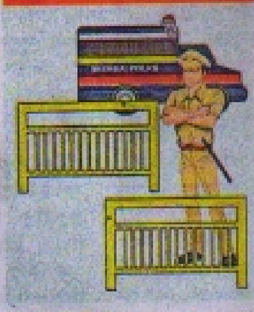

93.90 रिकवरी रेट

750 एक्टिव केस

6495 मई में मिले संक्रमित

5291 अप्रैल में मिले संक्रमित

टीम यह एक्शन लेगी

- टीम शहर में घूमते हुए अनलॉक व गाइड लाइन का पालन करवाएगी।
- नियमों का उल्लंघन होते ही टीम सीधे कार्रवाई करेगी।
- बिना और गलत तरीके से मास्क लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई होगी।
- निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खुली पाए जाने पर उसे सील कर दिया जाएगा।

शहर में कहां कौन-सी टीम तैनात की गई

थाना माणक चौक- टीम प्रभारी अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई प्रदीप गोगादे, साथ में एक पुलिस अधिकारी व सहायक कर्मचारी रहेंगे। ये टीम सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक तैनात रहेगी।

थाना औद्योगिक क्षेत्र- सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक लोनिवि के सीके राय की टीम तथा दोपहर 2 से रात 8 बजे तक प्रभारी उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. मनोज शर्मा की टीम।

थाना दीनदयाल नगर- टीम प्रभारी जिला पंजीयक पीपी वाजपेयी होंगे, यह टीम सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक तैनात रहेगी। दोपहर 2 से रात 8 बजे तक विकास अरुण पाठक की टीम तैनात रहेगी।

थाना स्टेशन रोड- सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक टीम प्रभारी पीके यादव प्रबंधक पीआईयू की टीम, दोपहर 2 से रात 8 बजे तक प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग मुकेश शर्मा की टीम तैनात रहेगी।

अनलॉक भी लॉकडाउन की तरह ही सख्त रहेगा। नियम और गाइड लाइन स्पष्ट है इसलिए उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसलिए टीम बनाई है। संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लापरवाही अब भी भारी पड़ सकती है। **कुमार पुरुषोत्तम,** कलेक्टर

आज वैक्सीनेशन नहीं, शाम तक मिलेंगी 8.5 हजार वैक्सीन

14 केंद्रों पर 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में मंगलवार को टीकाकरण नहीं होगा। कारण है मंगलवार को नियमित टीकाकरण होना। इधर, सोमवार को कम वैक्सीन के साथ जिले में सीमित स्थानों पर सत्र लगे। अब 1480 वैक्सीन का ही स्टॉक बचा है। इधर, बुधवार शाम तक जिले में 8,500 वैक्सीन मिलेगी, इससे आगे के सत्र हो पाएंगे।

सोमवार को जिले में कोवीशिल्ड वैक्सीन नाममात्र की ही बची थी, ऐसे में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को को-वैक्सीन के टीके लगाए गए। इधर कोविशील्ड की कमी पूरी करने के लिए उज्जैन से 1.5 हजार वैक्सीन मंगवाई गई। जिले में अब 1480 वैक्सीन बची हुई है। सोमवार को 2882 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया।

19 सेंटरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण हुआ

इधर, सोमवार को 19 सेंटरों में 50% से ज्यादा टीकाकरण हुआ, इनमें भी 14 सेंटर ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 100, 200 और 300 वैक्सीन के साथ टीकाकरण हुआ। ग्राम बाजेड़ा, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, ऑफिसर क्लब डीआरएम ऑफिस, जनपद पंचायत पिपलौदा, ओल्ड कलेक्टोरेट में 50 प्रतिशत से कम लोगों को वैक्सीन लगी।

आज वैक्सीन मिल जाएगी

उज्जैन से 1.5 हजार वैक्सीन मिली है। बुधवार शाम तक 8.50 हजार वैक्सीन मिल जाएगी। आगे के सत्र आसानी से होंगे। **वर्षा कुरील,** जिला टीकाकरण अधिकारी

दैनिक भास्कर
1/6/21

कोरोना नियंत्रण के लिए अनलाक में होगी निगरानी, निर्धारित समय के बाद दुकान खुली मिलने पर होगी कार्रवाई

गाइड लाइन पालन कराने के लिए शहर में थानावार टीमें तैनात

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर में थानावार अधिकारियों-कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई है जो आदेश का उल्लंघन करने वालों, बिना मास्क लगाए घूमने एवं गलत तरीके से मास्क लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करेगी। निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली पाए जाने पर उन्हें सील कर धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। सभी टीमें एसडीएम अभिषेक गहलोत के नेतृत्व में कार्य करेंगी।

थाना माणक चौक : प्रातः 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई प्रदीप गोगादे के साथ पुलिस विभाग का अमला निगरानी करेगा। दोपहर 2:00 से रात्रि 8:00 बजे तक जिला परियोजना अधिकारी बीएल पाटीदार एवं टीम तैनात रहेगी।

थाना दीनदयाल : टीम के साथ प्रभारी जिला पंजीयक पीके वाजपेयी प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक व दोपहर दो से रात आठ बजे तक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक के साथ दल तैनात रहेगा।

थाना औद्योगिक क्षेत्र : सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टीम प्रभारी एसडीओ लोक निर्माण विभाग सीके राव एवं दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक टीम प्रभारी उप संचालक पशु चिकित्सा डा मनोज शर्मा के साथ दल तैनात रहेगा।

थाना स्टेशन रोड : सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टीम प्रभारी जावे प्रबंधक पीआइयू के साथ व दोपहर 2:00 बजे से रात 8:00 बजे तक टीम प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग मुकेश शर्मा के साथ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी दल तैनात रहेगा।

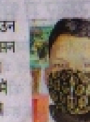

लाकडाउन में प्रशासन ने कई प्रकार की छूट दी है। ढील में भी बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। अतिआवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। हमारी सुरक्षा ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। कोविड-19 गाइड-लाइन का कड़ाई से पालन करें। – महेश भगत, सिमलावदा

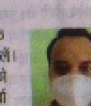

पौष्टिक आहार लें। योग प्राणायाम को दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में रहें-सुरक्षित रहें। इसी में आपकी व परिवार की भलाई है। वैक्सीन के दोनों डोज भी जरूर लगवाएं। कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन करना भी जरूरी है। – पंकज थावेरिया, पान विक्रेता जावरा

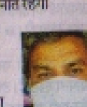

कोरोना से बचाव के लिए दैनिक जीवन में मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करें। दो गज की दूरी का मंत्र अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। – नागूसिंह चौहान (मोटा बापू), किराना व्यापारी, शेरपुर

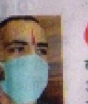

कोरोना की दूसरी लहर मानव जीवन के लिए घातक रही है। इसमें हमने अपनों को खोया है, लेकिन फिर भी कई लोग मास्क और शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे है। लापरवाही से संक्रमण की चेन नहीं टूट पा रही है इसके लिए कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन करना जरूरी है। – परीक्षा मरावा, छात्र नेता, आलोट

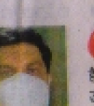

कोरोना आपदा के समय में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि हमेशा मास्क पहनें। दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन, पानी से धोएं। नीडर होकर टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं। – पुखराज बिड़वान, प्रदेश महामंत्री, मप्र वाल्मीकि पंचायत

कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना है। टीका लगाने के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। यह भी याद रखना है कि अगर संक्रमण से हमेशा के लिए बचना है तो टीका जरूरी है। टीका लगवाने के बाद भी नियमों का कड़ाई से पालन करना है। – महमूद शाह, प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी, आलोट

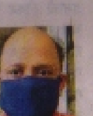

मास्क भी जरूरी है और वैक्सीन भी जरूरी है। जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक की सलाह लेकर इलाज करवाएं। समय-समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बचाव के लिए दो गज की दूरी भी जरूरी है। – अमित जैन, डायरेक्टर, माइल स्टोन अकेडमी जावरा

कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन, मास्क और सामाजिक दूरी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द वैक्सिन अवश्य लगवाएं। खुद भी सुरक्षित रहें तथा परिवार को भी सुरक्षित रखें। दो गज की दूरी के साथ मास्क भी जरूरी है। – अक्षत समराबत, छात्र, राजीव कालोनी जावरा

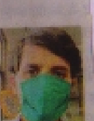

सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। शारीरिक दूरी नियम का अवश्य पालन करें। भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें एवं डबल मास्क का उपयोग करें। नंबर आने पर टीका जरूर लगवाएं। बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। – सौरभ शर्मा, शिक्षक, जावरा

अवैध रूप से पेड़ काटने पर एफआइआर के लिए पत्र भेजा

रतलाम। जैन कालोनी स्थित बगीचे में अवैध रूप से बरगद का सूखा पेड़ काटे जाने पर नगर निगम द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज किये जाने के लिए थाना प्रभारी थाना स्टेशन रोड को पत्र प्रेषित किया गया। नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा 28 मई को मौके पर पंचनामा बनाया गया था। पेड़ काटे जाने के संबंध में जहां कोई जानकारी नहीं मिली थी।

नईदुनिया
1/6/21

दो बत्ती पर पानी की निकासी के लिए डाले पाइप

भास्कर संवाददाता | रतलाम

फोरलेन निर्माण कार्य का निरीक्षण करते आयुक्त झारिया।

बारिश होने पर अब डाट की पुल की तरफ से बहकर आने वाला पानी दो बत्ती चौराहा पर नहीं भराएगा। पानी को निकालने के लिए सड़क के नीचे बड़े पाइप डाले जा रहे हैं। इससे होकर पानी सीधे न्यू रोड वाले नाले में चला जाएगा। यह सब होगा दो बत्ती से महाराजा सज्जन सिंह चौराहा तक बनने वाली फोरलेन सड़क बनने से क्योंकि इसके पहले पानी की निकासी के लिए सड़कों के बीचों-बीच बड़े पाइप डाले जा रहे हैं।

उधर न्यू रोड नाले की सफाई भी मंगलवार से होने लगेगी। इसके लिए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जोन प्रभारी पर्वत हाड़े को जिम्मेदारी दे दी है। सोमवार को आयुक्त ने दो बत्ती से महाराजा सज्जन सिंह चौराहा तक बनने वाली फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार नीलेश पिरोदिया को सात दिन में काम पूरा करने के लिए कहा। कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी साथ में रहे।

पंजीयन के लिए फल-सब्जी विक्रेता कोरोना भूले, निगम बना रहा बेपरवाह

सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हुआ पालन, गाइडलाइन के तहत बिक्री होगी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सब्जी के लिए परेशान हो रहे शहरवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें मंगलवार से सब्जियां मिलने लगेंगी। सब्जी विक्रेता घर-घर जाकर फेरी लगाकर सब्जी बेचेंगे। यही व्यवस्था फल विक्रेता के लिए भी लागू रहेगी और घूमकर फल बेचना होंगे। इससे पहले सोमवार को पंजीयन किए गए।

पंजीयन के चक्कर में सब्जी और फल विक्रेता कोरोना भी भूल गए व पंजीयन केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। पंजीयन के बीच केंद्रों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। सब्जी और फल विक्रेता ने तो भूल कर दी। पंजीयन केंद्रों पर निगम प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया ना तो भीड़ कंट्रोल करने की व्यवस्था की और ना ही सैनेटाइजर की व्यवस्था थी।

विक्रेताओं के लिए ये जरूरी

- क्रेता व विक्रेता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- फल-सब्जी में क्रेता हाथ नहीं लगाएगा। विक्रेता को स्वयं ही तौलकर देना होगी।
- विक्रेता को बार-बार अपने हाथ सैनिटाइज करना होगा।
- मुख्य चौराहों व मार्गों के साथ ही एक स्थान व जमीन पर बैठ कर फल-सब्जी का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
- ठेले पर चलित रूप से गली मोहल्लों में फल-सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा।

इन पंजीयन केंद्रों पर उमड़ी फल और सब्जी विक्रेता की भीड़ : कालिकामाता मंदिर परिसर सांस्कृतिक मंच, हरमाला रोड, अमृत सागर उद्यान, सुभाषनगर कम्यूनिटी हॉल।

पंजीयन नहीं तो होगी कार्रवाई

सब्जी वितरण के लिए पंजीयन जरूरी है। बगैर पंजीयन के सब्जी और फल बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। बगैर पंजीयन के सब्जी और फल बेचना मिलने पर फल और सब्जी जब्त कर प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ फल और सब्जी बेचना होंगे। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो 15 दिन के लिए पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

392 बेड खाली, 22 लोग ठीक होकर घर पहुंचे

रतलाम | हमारे जिले के हालात अब सुधर चुके हैं। सोमवार को मेडिकल कॉलेज में 392 बेड खाली थे। 22 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे तो वहीं 17 नए मरीज भर्ती हुए।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि कॉलेज के अस्पताल में कुल 550 बेड हैं। आईसीयू में 44, एचडीयू में 57, ऑक्सीजन बेड पर 54 और नॉन ऑक्सीजन बेड पर 3 मरीज भर्ती हैं। अभी कुल 158 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 118 पॉजिटिव हैं।

दैनिक भास्कर
1/6/21